JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

Indira Circle, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302004

GRAND AUCTION

of Mix Use and Resort Plots

S.No	Details Of Plots	Zone	Area (Sq.mtr.)	F.A.R.	Height		a carrier property burn		Date & Time of
1	2	3	4	5		Area	sq.mtr.)	(In Rs.)	Auction
	Mix Use Plot No. 3(Corner), Kh.No.	-3		3	6	7	8	9	10
1	136(Part), 155 & 147 (Part) Village Chainpura Near EP(Bazari Mandi) Tonk Road, Jaipur		1735.88	2.25 (2.75 with Betterment Levy)	15 Mtr.	Within Setback	50,000/-	30 Lac	25.07.2016 02:30 P.M
2	Resort Plot in Kanak Ghati Scheme, Amer Road Jaipur Resort-2(Corner)	2	11461.73	0.4	9 Mtr.	20%	40,000/-	50 Lac	26.07.2016

Permitted Height of plot - Height indicated in column no. 6 or permitted from Airport Authority of India which ever is less.

Auction Place - JDA Auction Hall

For further details & Conditions of auction please log on to our website www.jda.urban.rajasthan.gov.in or contact OSD (RM): Phone No.: 0141-2570678, 2569696 (Ext.- 7021, 7234, 1128

> Birjesh Kishore Sharma OSD(RM) JDA, Jaipur

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR

PROPOSED SITE PLAN OF P.NO.-3, BAJRI MANDI, TONK ROAD, NEAR E.P. PARAMETERS:

AREA:- 1735.88 SQ.MT.

USE:-

(MIXED USE)

F.A.R.:- 2.25 (WITH BETTERMENT LEVY 2.75)

GROUND COVERAGE:- (WITHIN SETBACKS)

HEIGHT:- 15 MT.

SCALE:- 1CM = 15 MT.

नोट :-

1. उक्त भूखण्ड नीलामी से निस्तारित किया जाना है। भूखण्ड की लीज मिश्रित (आवासीय / व्यावसायिक) होने के कारण अफींडेबल हाउसिंग पॉलिसी लागू नहीं होगी। उपरोक्त पैरामीटर के अतिरिक्त भवन विनियम 2010 में उल्लेखित सभी मानदण्ड संबंधित उपयोग के अनुसार लागू होगें।

2. भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल **मौके पर डिमार्केश**न के अनुरूप मान्य होगा तथा मौके के डिमा**र्के**शन क्षेत्रफल के शुल्क की गणना

नीलामी से प्राप्त दर से की जानी है।

3. नीलामी के पश्चात् मांग पत्र जारी होने के उपरान्त सफल केता द्वारा भूखण्ड पर भवन मानचित्र अनुमोदन करने हेतु बाध्य होगा तथा प्रार्थी को भवन मानचित्र अनुमोदन से संबंधित पूर्ण राशि जमा होने के उपरान्त उसके अनुमोदित मानचित्र जारी कर दिये जायेगें, परन्तु भूखण्ड का कब्जा पत्र भूखण्ड की समस्त राशि जमा होने के उपरान्त ही जारी किया जायेगा तथा केता मौके पर अनुमोदित मानचित्र के अनुसार निर्माण कब्जा पत्र जारी होने के उपरान्त ही कर सकेगा। प्रार्थी को भूखण्ड का साईटप्लान मांग पत्र के साथ डिमार्केशन के अनुसार उपलब्ध करवा दिया जायेगा।

4. प्रार्थी के मानचित्र प्रस्तुत करने के दिनांक से 60 दिवस की अविध में भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी कर दिये जाएगें। बशर्त की प्रार्थी को भवन मानचित्र अनुमोदन से संबंधित समस्त राशि एकमुश्त जमा करवानी होगी, इसके साथ ही यदि वह चाही गई अनापित जिवप्रा में प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो भवन मानचित्र अनापित प्रस्तुत करने के उपरान्त ही जारी किये जायेगें। प्रार्थी द्वारा भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु जारी मांग पत्र की राशि जमा कराने में जितना अविध लेगा। वह अविध उपरोक्त 60 दिवस में सम्मिलित नहीं की जावेगी, लेकिन जिवप्रा द्वारा भवन मानचित्र अनुमोदन कर जारी करने में उपरोक्त अविध के अतिरिक्त जितनी अविध और ली जावेगी, उतनी ही अविध की छट किश्तों एवं ब्याज में दी जावेगी।

PLOT NO. 2

PLOT NO. 3

PLOT N

SITE ENGINEER ZONE - 4 JDM/ATP ZONE - 4

DY.COMMISSIONER ZONE - 4

